प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.07.2024

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में घरों में नकबजनी करने वाले एक अभियुक्त व चोरी का माल खरीदने वाला (सुनार) समेत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से चोरी की स्कूटी, एक मोबा इल फोन, दो नम्बर प्लेट, 5,05,000/- रुपये नगद, पीली व सफेद धातु तथा नकबजनी करने के उपकरण बरामद ।

दिनांक 15.07.2024 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट, सर्विलांस तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान घरों में नकबजनी करने वाले एक शातिर अभियुक्त मोहर्रम अली उर्फ़ हसन अब्बास उर्फ रियान हसन पुत्र अब्बास अली निवासी- मूल पता मौ0 चकली, थाना कोतवाली अमरोहा, जनपद अमरोहा एंव वर्तमान पता म0नं0 3, गली नं0 12, राहुल विहार सेकेन्ड, प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद ग़ाज़ियाबाद व चोरी का माल खरीदने वाला (सुनार) शेख शरीफ पुत्र शेख अब्दुल शहीद, नि0 म0नं0 38 लालटेन फैक्ट्री कैला भट्टा थाना कोतवाली जनपद ग़ाज़ियाबाद को हमदर्द मैदान के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण

1- मोहर्रम अली उर्फ हसन अब्बास उर्फ़ रियान हसन पुत्र अब्बास अली निवासी-मूल पता मौ0 चकली थाना कोतवाली अमरोहा जनपद अमरोहा एंव वर्तमान पता म0नं0 3, गली नं0 12 राहुल विहार सेकेन्ड, प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद ग़ाज़ियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

2- शेख शरीफ पुत्र शेख अब्दुल शहीद नि वासी- म0नं0 38 लालटेन फैक्ट्री कैला भट्टा थाना कोतवाली ग़ाज़ियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त मोहर्रम अली उर्फ हसन अब्बास ने पूछने पर बताया कि मुझे ऑनलाइन एविएटर गेम खेलने की आदत है। जिसमें मैंने करीब 62 लाख रूपये हारे हैं। उन्हे पूरा करने और अपने शौक पूरे करने तथा अपनी गृहस्थी चलाने के लिए घरों में चोरी की घटनाएं करता हूँ तथा चोरी का सामान मैं शेख शरीफ (सुनार) जो कैला भट्टा का रहने वाला है को बेच देता हूँ। आज भी मैं चोरी का सोने व चाँदी के सामान शेख शरीफ को बेचने के लिए जा रहा था और शेख शरीफ मुझे पहले बेचे हुए माल के पैसे देने के लिए आ रहा था।

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त- मोहर्रम अली उर्फ हसन अब्बास के विरूद्ध घरों में चोरी करने सम्बन्धी 05 अभियोग जनपद अमरोहा में, 01 आर्म्स एक्ट तथा 01 दिल्ली में चोरी करने सम्बन्धी का कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी की एक स्कूटी एक्टिवा (दिल्ली से)
2. एक मोबाइल ओप्पो
3. दो नम्बर प्लेट (UP14EP3604 फर्जी नम्बर) (DL14SJ5745 असली नम्बर)
4. 5,05,000/- रुपये नकद
5. पीली धातु (6 चैन, 4 अंगूठी, 1 जोडी कुंडल,1 जोडी बाली व 2 जोडी चूडी), सफेद धातु (25 जोडी पायल, 13 जोडी बच्चो के कड़े,1 गले की चैन, 2 ब्रेसलेट, एक हाथ का कडा, 81 जोडी बिछुए)
6. चोरी करने के उपकरण (एक लोहे का एक रिंच (घटाने बढ़ाने वाला) एक पेंचकस, 04 लोहे की रॉड छोटी बड़ी)

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.07.2024 को चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी गौरव पुत्र कान्ती प्रसाद निवासी डिफेन्स कालोनी निवाडी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 08.05.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

गौरव पुत्र कान्ती प्रसाद निवासी डिफेन्स कालोनी निवाडी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर मारपीट के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा धारा10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 02 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 11000/- रूपये नगद बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 08.07.2024 को वादिया को विपक्षी द्वारा वीडियो कॉल से वादिया की वीडियो व फोटो रिकॉर्ड करना तथा वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर वादिया से 2,30,000/- रूपये ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी । घटना में धनराशी ट्रान्सफर कराने में प्रयुक्त खातों की डिटेल के आधर पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. मोहम्मद रियाज अहमद उर्फ राजू पुत्र इस्लाम खान निवासी , ग्राम धमेड़ा नारा थाना कोला जिला बुलंदशहर हाल पता किराएदार निसार निकट मदीना मस्जिद सेक्टर 107 सालारपुर खादर भंगेल गौतम बुध नगर उम्र करीब 45 वर्ष 2. मोहम्मद फैय्याज पुत्र मोहम्मद मनीर निवासी निकट नई मस्जिद बड़ी बाजार कस्बा मुंगेर थाना कोतवाली मुंगेर बिहार वर्तमान पता किराए का मकान निकट मदीना मस्जिद सेक्टर 107 सालारपुर खादर गौतम बुध नगर उम्र करीब 34 वर्ष को आरडीसी गेट के पास सर्विस रोड चौकी क्षेत्र सैक्टर 3 राजनगर से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो दोनो ने एक स्वर में बताया कि साहब हमारे द्वारा अपने साथी सनोवर उर्फ साहिल के साथ मिलकर ऑनलाइन कॉल तथा व्हाट्सएप वीडियो कॉल आदि के माध्यम से आम जनता को डरा धमका कर पैसे अपने खातों में डलवाते हैं। यह जो रूपयों हमारे पास है में से हमे मिले रुपए से बचे हुए हैं।

अभियुक्त का नाम पता-

1. मोहम्मद रियाज अहमद उर्फ राजू पुत्र इस्लाम खान निवासी , ग्राम धमेड़ा नारा थाना कोला जिला बुलंदशहर हाल पता किराएदार निसार निकट मदीना मस्जिद सेक्टर 107 सालारपुर खादर भंगेल गौतम बुध नगर उम्र करीब 45 वर्ष

2. मोहम्मद फैय्याज पुत्र मोहम्मद मनीर निवासी निकट नई मस्जिद बड़ी बाजार कस्बा मुंगेर थाना कोतवाली मुंगेर बिहार वर्तमान पता किराए का मकान निकट मदीना मस्जिद सेक्टर 107 सालारपुर खादर गौतम बुध नगर उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगीः-

11000 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

क्राइम ब्रांट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना कौशाम्बी के अभियोग में 04 वर्षो से फरार एंव रू0 25,000/- की ईनामी अभियुक्ता गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-15/07/2024 को थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के वर्ष 2020 के अभियोग में फरार शातिर अभियुक्ता श्रीमती सन्तोष सचान को जी एफ 87 अंसल प्लाजा चिरंजीव बिहार थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की। अभियुक्ताश्रीमती सन्तोष सचानपिछले 04 वर्षो से लगातार फरार चल रही थी , जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन द्वारा दिनांक- 28/09/2023को रू025,000/-का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्ता ने बताया कि वह चिरंजीव बिहार में कपडे की दुकान करती हैं पूर्व में वह सैक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद में रहती थी, उसका एक प्लॉट स्वर्ण जयंती पुरम में था जिसको 2009 में बेच दिया था। उसके बाद से मकान न0 215 सैक्टर 09 चिरंजीव बिहार गाजियाबाद में रहने लगी थी। पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि सन 2018-2019 में शैलेश कुमार पुत्र रामविनोद निवासी एस 5 द्वितीय तल कृष्णा आपरा कौम्पलैक्स कौशाम्बी ने बैंक मैनेजर डेबिड दांहगा व श्रीमती संतोष सचान के साथ मिली-भगत करके फर्जी दस्तावेज लगाकर नोबल कापरेटिव बैंक लिमिटेड से तीन लोन क्रमशः 35 लाख, 27 लाख व 07 लाख रूपये के लिये थे जिसमें श्रीमती संतोष सचान ने गारंटी ली थी और गारंटी में अपनी उस प्रोपर्टी के कागजात लगाये थे जो पूर्व में ही 2009 में बेची जा चुकी थी। उक्त के सम्बंध में दिनांक 08/11/2020 को वादी मुकदमा राघव भारद्वाज डिप्टी सीईओ नोबल कापरेटिव बैंक लिमिटेड सैक्टर 22 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर थाना कौशाम्बी पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसमें अभियुक्तगण शैलेश कुमार सिंह व बैंक मैनेजर डेबिड दांहगा पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता- श्रीमती संतोष सचान पत्नी राकेश सचान निवासी सी 284 स्वर्ण जयंतीपुरम थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबादवर्तमान पता मकान न0 215 सैक्टर 9 चिरंजीव बिहार नियर पुलिस लाइन थाना कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण- अभियुक्ता पूर्व से मु0अ0सं0- 573/2020 धारा-420/467/471 भादवि वमु0अ0सं0-226/2021 धारा-420/406 भादवि थाना कौशाम्बी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की वाँछित एंव रू0 25,000/- की पुरस्कार घोषित अपराधी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा कैब ड्राइवर के साथ ओवरटेक करने को लेकर लाठी व डंडे से मारपीट करने व गाड़ी का शीशा तोड़ने की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 14.07.2024 को वादी श्री विशाल उर्फ नारायण प्रताप सिंह निवासी सुखचैनपुर विधुना जनपद औरैया द्वारा टाटा नैक्सोन कार रजि0 न0 HR10AP5011 सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के बुआ के लड़के अभय चौहान पुत्र ध्यान सिंह निवासी उपरोक्त के साथ गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर गाड़ी को रास्ते में रोककर लाठी व डंडे से मारपीट करने व उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देने के सम्बन्ध में एक अभियोग थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.07.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना को कारित करने वाले 03 अभियुक्त 1.मोहित पुत्र रामकरण निवासी 3097/3 पटेल नगर नियर पुलिस नाका सोनीपत हरियाणा उम्र 24 वर्ष 2. सागर पुत्र कृष्ण कुमार निवासी नाथपुर थाना कुंडली सोनीपत हरियाणा उम्र 18 वर्ष व 3.आकाश पुत्र जयप्रकाश निवासी नाथपुर थाना कुंडली सोनीपत हरियाणा उम्र 24 वर्ष को छिजारसी कट के पास से घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग टाटा नैक्सोन कार से साहिबाबाद से सोनीपत हरियाणा की तरफ जा रहे थे। जहाँ पर रास्ते में सीआईएसएफ कट के सामने डिवाइडर पर गाड़ी संख्या UP16JT8883 एर्टिगा कार सामने आ गयी थी।गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हमारा आपस में झगड़ा हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता

1. मोहित पुत्र रामकरण निवासी 3097/3 पटेल नगर नियर पुलिस नाका सोनीपत हरियाणा उम्र 24 वर्ष।
2. सागर पुत्र कृष्ण कुमार निवासी नाथपुर थाना कुंडली सोनीपत हरियाणा उम्र 18 वर्ष।
3. आकाश पुत्र जयप्रकाश निवासी नाथपुर थाना कुंडली सोनीपत हरियाणा उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 टाटा नैक्सोन कार बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम